न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 09/2018
अनवान :–

श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर

प्रार्थी

–: बनाम :–

श्री माणक डागा पुत्र श्री मोहनलाल डागा (विक्रेता मालिक) मैसर्स, मोहन भोग, कटला चौक, नोखा, जिला बीकानेर

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी – श्री महमूद अली, खाध सुरक्षा अधिकारी,
2. अप्रार्थी – स्वयं

–: निर्णय :– दिनांक 24.01.2019

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 16.07.2018 को अप्रार्थी श्री माणक डागा पुत्र श्री मोहनलाल डागा(विक्रेता मालिक) मैसर्स मोहन भोग, कटा चौक, नोखा, जिला बीकानेर, (राज.) के यहां दुकान का निरीक्षण किया, जहां दुकान में रखी एक स्टील की ट्रे में लगभग 5 मिलोग्राम मीठा मावा (मावे की मिठाई) आम जनता को विक्रय वास्ते रखा हआ था। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त ट्रे में से 02 किलोग्राम मीठा मावा (मावे की मिठाई) नमूना संग्रह हेतु उनके बताये अनुसार मूल्य 400/– रूपये में खरीद कर नगद भुगतान कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं प्रार्थी स्वयं के हस्ताक्षर है। तदन्तर उक्त खरीदशुदा मीठा मावा (मावे की मिठाई) को चार बराबर–बराबर भागों में बांटकर चारों साफ सुखी एवं खाली बोतलों में डालकर एवं प्रत्येक बोतल में 40–40 बूंदे फॉर्मेलिन डालकर, इन चारों नमूना बोतलों को ढक्कन से एयर टाईट बन्द किया तथा उनकी उपस्थिति में चार लेबल तैयार किये गये, जिस पर अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर के कोड़ एवं क्रमांक जे–1473 लिखा व अन्य विवरण अंकित किया गया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर किये। नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग को सील चपड़ी कर, फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता तथा गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करवाये तथा स्वयं आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। उक्त एक सीलबन्द बोतल को मुख्य जन विश्लेषक एवं खादय विश्लेषक, राज.जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से दिनांक 31.07.2018 को जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें मीठा मावा (मावे

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

की मिठाई) सबस्टेण्डर्ड का पाया गया । प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड मीठा मावा (मावे की मिठाई) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसलिये धारा 51 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आकर जवाब प्रस्तुत किया। तदन्तर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि इस मामले में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से मीठा मावा (मावे की मिठाई) का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जन विश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 31.07.2018 के अनुसार इस मामले में Quality Characteristics-No.5-B.R. Reading of extracted fat at 40°C Prescribed standards as per rule- 40.0 to 44.0 (For Milk Fat) की तुलना में 45.6 पाया गया है, जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां मीठा मावा (मावे की मिठाई) सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (II) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है।

4. अप्रार्थी ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे कथन किया कि अप्रार्थी की फर्म मोहन भोग कटला चौक नोखा में है जो मिठाई बनाने का कार्य करती है तथा फर्म की दुकान पर दिनांक 16.7.18 को मावे की मिठाई चैक कर सेम्पल लिया गया जो की जांच में सही पाया गया सिर्फ मिल्क फेट मामूली ज्यादा पाया गया जो दूध से मावा बनाया जाता है उसमें से क्रीम (फेट) ज्यादा निकालने पर फेट कम आता है और क्रीम (फेट) कम निकालने से फेट ज्यादा आता है। उक्त मिठाई के मावे में फेट मामूली ज्यादा गया है जो टेक्नीकल रूप से सबस्टेण्डर्ड ही पाया गया है। फेट मावा में ज्यादा मामूली पाया गया है उससे किसी भी प्रकार से कोई स्वास्थ्य में नुकसान नहीं हो सकता है। अप्रार्थी ने अन्त में यह भी कथन किया है कि भविष्य में इस प्रकार की भूल नहीं की जायेगी और नियमानुसार जुर्माना लगाकर नोटिस विड्रा किया जावे। इसके विपरीत प्रार्थी अधिकारी ने अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब व कथन का खण्डन करते हुवे बताया कि अप्रार्थी के यहां नियमानुसार कार्यवाही की जाकर मीठा. मावा (मावे की मिठाई) का सैम्पल लिया गया, जो सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है।

5. हमने उभयपक्ष के कथनों पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी द्वारा साक्ष्य आधारित खण्डन नहीं किया है। जिस मीठा मावा (मावे की मिठाई) का सेम्पल लिया गया था, वह मीठा मावा (मावे की मिठाई) अप्रार्थी की दुकान में पाया गया था । पत्रावली में Food Analyst, State Central Public Health

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Laboratory, Jaipur की रिपोर्ट क्रमांक: एल.एस./1181/ एक्ट/2018/1280 दिनांक 31.07.2018 संलग्न है। इस रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी के यहां पाया गया मीठा मावा (मावे की मिठाई) Quality Characteristics-No.5- B.R. Reading of extracted fat at 40°C Prescribed standdards as per rule- 40.0 to 44.0 (For Milk Fat) की तुलना में 45.6 पाया गया है, जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं होने के कारण सबस्टेण्डर्ड होना साबित होता है। लिहाजा अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड का मीठा मावा (मावे की मिठाई) विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों 26 (2)(II) का उल्लंघन किया है । अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुवे हम अप्रार्थी के इस कृत्य के लिये उन पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत रू. 25,000/– अखरे पच्चीस हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।

6. अप्रार्थी को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमी की अनुज्ञारित निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 24.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर एवं अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(ए.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर(प्रशा),बीकानेर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर